

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०६ सितम्बर, 2017

विषय :- बदायूं में पीलीभीत-बरेली-भरतपुर मार्ग एस०एच०-33 के चैनेज किमी० 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी० 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेड्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

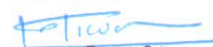
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/57/2017/एफसी/91 दिनांक 30.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां भेजते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 30.08.2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रस्ताव की 02 प्रति।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।